आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक के कृषि भूमि खसरा नम्बर 181/79 रकबा 2.50है. में आवागमन हेतु अनावेद के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 180/79 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू ए से बी लम्बाई 68 मीटर चौड़ाई 4.85 मीटर कुल क्षैत्रफल 330 वर्ग मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि आवेदक के भूमि खसरा नम्बर 181/79 के दक्षिणी दिशा में से कम की जाकर अनावेदक के भूमि खसरा नम्बर 180/79 के लगती भूमि हुई भूमि को भी राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज किया तथा राज्यहितो का अवलोकन करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2......... मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)